बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 29/01/26

कटिहार जिलान्तर्गत पश्चिम बंगाल सीमा सटे प्रखंड–अमदाबाद, प्राणपुर, आजमनगर एवं बलरामपुर में अवैध मिट्टी खनन की प्राप्त जानकारी के आलोक में विभागीय जाँच दल द्वारा दिनांक–28.05.2025 को उक्त स्थलों की जाँच की गयी। जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि महानंदा नदी के किनारे वृहद पैमाने पर मिट्टी का खनन किया गया है। भरतकोल स्थित खनन स्थल में खनन की गड्ढ़े की लंबाई 55 फीट, चौड़ाई 16 फीट चौड़ा तथा गहराई 05 फीट पायी गयी। गड्ढ़ो की स्थिति से यह स्पष्ट है कि अवैध खनन लंबे समय से हो रहा था एवं अवैध खननकर्त्ताओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग किया जा रहा था। श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी, खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन काल में अवैध खनन पर सतत् निगरानी एवं प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण लंबे समय से मिट्टी अवैध खनन होता रहा। श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी, खनिज विकास पदाधिकारी का यह कृत्य अपने पदीय दायित्व का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं करने का परिचायक है एवं उनके इस कृत्य से अवैध खनन को बढ़ावा हुई है।

2. श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, कटिहार सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 6098 दिनांक 11.11.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, कटिहार सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय द्वारा पत्रांक 1296 दिनांक 19.12.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी द्वारा कटिहार जिला में पदस्थापन के दौरान पश्चिम बंगाल से सटे क्षेत्रों में अवैध खनन की सतत् निगरानी नहीं की गई, जिसके कारण जांच में वृहत पैमाने पर मिट्टी का खनन किया हुआ पाया गया। इस प्रकार समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कटिहार तथा** प्रस्तुतीकरण/ उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, कटिहार** को नियुक्त किया जाता है।

P.T.O

5. श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

अनुलग्नकः—आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी हेतु)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—32/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपि :—अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—32/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः—अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, कटिहार—सह—संचालन पदाधिकारी/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, कटिहार—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्रीमती आकांक्षा प्रियदर्शी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, कटिहार सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—32/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/कटिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—32/2025—................../एम0, पटना, दिनांक................
प्रतिलिपिः— उप निदेशक, अंचल कार्यालय, मुंगेर/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—प्र0—II—रा0(आ0)—32/2025—741/एम0, पटना, दिनांक 29/01/26
प्रतिलिपिः—माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ स्थापना शाखा (मु0)/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

29/01/26

सरकार के अपर सचिव

29.1.26

D:\Sanjay\arop/Sankalp